

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**--: अधिसूचना ::--**

संख्या-14/निजी-1155/2025- पटना-15, दिनांक- /03/2026  
/सा0प्र0-श्री शंभु शरण पाण्डेय, बि0प्र0से0,  
को0क्र0-361/24, अपर समाहर्ता (लो0शि0नि0)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण  
पदाधिकारी, नवादा को निजी कार्यवश एवं पिताजी की चिकित्सीय जाँच हेतु बिहार सेवा  
संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-04.05.2026 से दिनांक-27.05.2026  
तक कुल-24 (चौबीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-409(23), दिनांक-  
10.03.2026 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री पाण्डेय को उक्त छुट्टी  
की स्वीकृति के उपरान्त कुल-300-24=276 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री शंभु शरण पाण्डेय को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र  
संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने  
के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त  
(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1155/2025- 5462/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक-20/03/2026  
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार  
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम  
से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी,  
नवादा/श्री शंभु शरण पाण्डेय, बि0प्र0से0, को0क्र0-361/24, अपर समाहर्ता  
(लो0शि0नि0)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा/प्रबंधक, आई0टी0,  
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने  
हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

 20/03.2026

सरकार के उप सचिव।